



दिनांक 21.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मंदिर में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 नाग (सफेद धातु), 01 अवैध तमंचा/ 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण (पेचकस, प्लास आदि), 01 बैग व 01 थैला बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री प्रीतम कश्यप पुत्र आत्माराम निवासी खलासी लाइन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा शनिदेव मन्दिर, रेलवे स्टेशन के पास शिवलिंग के ऊपर से चांदी का मुकुट (नाग) चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 598/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल मन्दिर में चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में नकबजनी/लूट/चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में मंदिर में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त सुल्तान अहमद उर्फ अली पुत्र जमील अहमद निवासी शाहदुल्लागंज थाना जलालाबाद जनपद शाहजाँहपुर हाल पता ईश्वर विहार निकट काली मन्दिर तपोवन रोड थाना रायपुर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) को गांधी पार्क, गंगोह बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मंदिर में शिवलिंग के ऊपर से चोरी गया का मुकुट/नाग (सफेद धातु) व 01 तमन्चा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह नाग मैंने सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास बने एक मन्दिर से चोरी किया था। जिसे मैं आज बेचने जा रहा था तथा असलाह के बारे में पूछने पर बताया कि मैं तमन्चा अपनी सुरक्षा व लोगों को डराने-धमकाने के लिये अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. सुल्तान अहमद उर्फ अली पुत्र जमील अहमद निवासी शाहदुल्लागंज थाना जलालाबाद जनपद शाहजाँहपुर हाल पता ईश्वर विहार निकट काली मन्दिर तपोवन रोड थाना रायपुर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड)

अभियुक्त सुल्तान अहमद उर्फ अली का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 380/411 भादवि थाना डालवेवाला देहरादून .
2. मु0अ0सं0 180/2024 धारा 380/411 भादवि थाना को0नगर देहरादून

बरामदगी का विवरण –

- 01 मुकुट/नाग शिवलिंग के ऊपर से चोरी गया (सफेद धातु का)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- घटना में प्रयुक्त उपकरण पेचकस व प्लास आदि
- घटना में प्रयुक्त बैग व थैला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. का01590 अंकुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



दिनांक: 21/10/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवे के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.06.2024 को वादी श्री हर्ष कुमार पुत्र ऋषिपाल नि० ग्राम रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर प्रथम पक्ष अभियुक्तगण 1. अर्पण पुत्र नरेश सैनी, 2. मुकुल पुत्र मुकेश कश्यप, 3. अंकित पुत्र अशोक सैनी, 4. सौरभ उर्फ चूहा पुत्र सतीश सैनी निवासीगण ग्राम हसनपुर थाना को०देहात जनपद सहारनपुर व 5. विशाल पुत्र बलराम निवासी ग्राम रमजानपुरा थाना को०देहात जनपद सहारनपुर व द्वितीय पक्ष अभियुक्तगण 1. विशाल सैनी पुत्र मांगेराम, 2. विक्की पुत्र ओमीचन्द्र निवासीगण ग्राम टोपरी थाना को०देहात जनपद सहारनपुर, 3. शुभम पुत्र समय सिंह, 4. अक्षय पुत्र करेशन व 5. अनुज पुत्र बिजेन्द्र और कुछ अन्य अज्ञात द्वारा आपस में झगडा करना व एक-दूसरे पर गोली चलाने जिसमें एक गोली वादी के चचेरे भाई अमन उर्फ साहिल के दाये पैर में लग जाने से घायल हो जाने तथा मौके पर अफरा तफरी मच जाने से भय का माहौल पैदा हो जाने से आस-पास के लोगो के अपने घर में छिप जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 361/24 धारा 191(3)/109(1) बीएनएस व 7 CL एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अक्षय पुत्र करेशन निवासी ग्राम चक अब्दुल्ला सुल्तानपुर खुब्बनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को ग्राम चकअब्दुल्ला सुल्तानपुर खुब्बनपुर से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अब तक कुल 10 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अक्षय पुत्र करेशन निवासी ग्राम चक अब्दुल्ला सुल्तानपुर खुब्बनपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी कोतवाली देहात सहारनपुर
- 2- उ०नि० श्री अजय पाल सिंह कोतवाली देहात सहारनपुर
- 3- है०का० 843 विवेक कुमार थाना को०देहात सहारनपुर
- 4- का० 152 गौरब त्यागी थाना को०देहात सहारनपुर



दिनांक: 21.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त इरशाद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम सिरसला खेड़ा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को वाद सं० 11002/24 व मु०अ०सं० 15/53/98 धारा 379/411/ भादवि व 4/10 एफ० एक्ट चालानी थाना नकुड़ सम्बन्धित मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, सहारनपुर द्वारा निर्गत वारण्ट एनबीडब्लू में ग्राम सिरसला खेड़ा अफगान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इरशाद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम सिरसला खेड़ा अफगान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. का० 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.24 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आजम पुत्र असलम निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 401/24 धारा 87 बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त आजम पुत्र असलम निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को चुनहेटी अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया तथा पीडिता सकुशल बरामद। बयान पीडिता व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आजम पुत्र असलम निवासी ग्राम हलगोया थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. है0का0 968 अरविन्द धामा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
4. म0का0 2126 मनीषा चौहान थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2024 को वादी गालिब पुत्र फारूख निवासी ग्राम सांपला थाना देवबंद जिला सहारनपुर आदि 18 अन्य पीडितों की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. नौमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मौहल्ला किला कस्बा व थाना देवबंद जिला सहारनपुर, 2. नौशाद पुत्र लियाकत, 3. इरशाद पुत्र लियाकत, 4. तसव्वुर पुत्र इरशाद, 5. सनव्वर पुत्र इरशाद निवासीगण ग्राम सापला थाना देवबंद जिला सहारनपुर, 6. शादाब पुत्र नौशाद, 7. मुजम्मिल पुत्र फुरकान व 8. शाहिल पुत्र नौशाद निवासीगण मौ0 किला कस्बा व थाना देवबंद जिला सहारनपुर द्वारा जमीन का बैनामा कराने के नाम पर धोखाधड़ी से पैसा हड़पने, न ही जमीन देना और न ही पैसे देना, पैसे वापस मांगने पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 408/2024 धारा 420/406/504/506 भादवि के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटना के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक देवबंद को आदेश-निर्देश दिए थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुकदमे में वांछित **अभियुक्त नौमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मौहल्ला किला कस्बा व थाना देवबंद जिला सहारनपुर** को महाराणा प्रताप चौक कस्बा देवबंद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नौमान पुत्र फुरकान निवासी ग्राम मौहल्ला किला कस्बा व थाना देवबंद जिला सहारनपुर

अभियुक्त नौमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 362/19 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 थाना देवबंद स0पुर
2. मु0अ0स0 429/24 धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 थाना देवबंद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
2. का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. हो0गा0 971 पल्टूराम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त **शाहाबुदीन उर्फ कालू पुत्र जहूर नि० मछियारो का मौ० निकट सरवर चक्की वाले के समाने थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 51/22 व मु०अ०सं० 409/21 धारा 363/376/504/506 भादवि व 5एल/6 पोक्सो एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर (माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पोक्सो कक्ष नं० -13 जनपद सहारनपुर) में मछियारो के मौहल्ले से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहाबुदीन उर्फ कालू पुत्र जहूर नि० मछियारो का मौ० निकट सरवर चक्की वाले के समाने थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री राजीव कुमार गौर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 819 सतेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का० 1057 शक्ति सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।